न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव(आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 8/2013
बउनवान

सरकार जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारां जिला बारां (राज.) **(सायल)**

बनाम

श्री हेमराज उर्फ डेम्पा पुत्र श्रवणलाल जाति–रेगर उम्र–30 साल
निवासी–गोपाल कॉलोनी, थाना–कोतवाली, बारां, जिला–बारां (राज.) **(गैरसायल)**

अन्तर्गत धारा–3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. प्रथम **(सायल)**
2– श्री प्रियदर्शन शर्मा, अभिभाषक **(गैरसायल)**

निर्णय दिनांक– 24.07.2019

1– वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री हेमराज उर्फ डेम्पा पुत्र श्रवणलाल जाति–रेगर उम्र–30 साल निवासी–गोपाल कॉलोनी, थाना–कोतवाली, बारा के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के तहत प्रेषित किया गया है।

2– प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी, कोतवाली,बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को रिपोर्ट की है कि थाना, क्षैत्र में गैरसायल श्री हेमराज उर्फ डेम्पा पुत्र श्रवणलाल जाति–रेगर निवासी–गोपाल कॉलोनी, बारा आदतन अपराधी है। यह आये दिन लडाई–झगडा करने व जुआ–सट्टा खेलने एंव खिलाने का आदि है, जो जुआ सट्टा खेलने के लिये पैसे भी बाटता है तथा उचे ब्याज दर पर पैसे वसूल करता है, जिससे लडाई झगडा होने की संभावना है। जुआ सट्टा सामाजिक बुराई है, जिसपर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। इसके इस कृत्य की सूचना देने वाले से यह लोग रंजिश रखते है तथा उससे लडाई झगडा कर ईलाका हाजा में शांति व्यवस्था को प्रभावित करता रहता है व समाज में कुरूतिया फैलाता है इसकी आपराधिक गतिविधियॉ लगातार बढ़ती जा रहीं है। इसके डर से कारण आसपास मोहल्ले वाले एवं सम्य व गरीब व्यक्ति इसके खिलाफ रिपोर्ट कराने में कतराते है तथा भय खाते है। क्योकि आपराधिक प्रवृति के कारण यह कभी भी किसी के साथ भी कोई गंभीर वारदात कर सकता है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, क्षैत्र में कानून एंव शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो रहा है। अपराधी का स्वतंत्र रहना लोक शांति एंव जनहित में हितकारी प्रतीत नहीं है।

3— गैरसायल के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के तहत कार्यवाही कर इस जिले की सीमा क्षेत्र से निष्कासित किया जावे। गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :—

क्र0 सं	मु0नं0 मय धारा	चार्जशीट नं0 मय दि.	एफआईआर. नं0	नतीजा सी. एस.	निर्णय
1.	660/99 धारा 411 भा.उ.भ.	397/27.10.99	1—अ	1—ब	न्याया.एसीजेएम बारां दिनांक 1.07.02 को सजा
2	160/00 धारा 13 आरपीजीओ	97/7.3.2000	2—अ	2—ब	न्याया.एजेएम बारां दिनांक 8.07.02 को सजा
3	523/00 धारा 13 आरपीजीओ	396/28.8.2000	3—अ	3—ब	न्याया.जेएम बारां द्वारा दिनांक 9.12.04 को सजा
4.	382/09 धारा 13 आरपीजीओ	298/29.6.99	4—अ	4—ब	न्याया.एजेएम बारां दिनांक 24.7.09 को सजा
5	464/09 धारा 13 आरपीजीओ	347/16.7.09	5—अ	5—ब	न्याया.एजेएम बारां दिनांक 25.11.09 को सजा
6	469/11 धारा 13 आरपीजीओ	336/25.7.11	6—अ	6—ब	याया.एजेएम बारां दिनांक 26.08.11 को सजा
7.	639/11 धारा 13 आरपीजीओ	466/23.10.11	7—अ	7—ब	न्याया.एजेएम बारां दिनांक 16.8.12 को सजा
8.	702/11 धारा 13 आरपीजीओ	503/16.11.11	8—अ	8—ब	न्याया.एजेएम बारां दिनांक 2.12.11 को सजा
9	213/12 धारा 13 आरपीजीओ	145/30.3.12	9—अ	9—ब	याया.एजेएम बारां दिनांक 18.5.12 को सजा

इस्तगासा विरूद्व श्री हेमराज उर्फ डेम्पा पुत्र श्रवणलाल जाति—रेगर उम्र—30 साल निवासी—गोपाल कॉलोनी, थाना—कोतवाली, बारा जिला पुलिस अधीक्षक बारां ने पेश कर उक्त गैरसायल अपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित किये जाने हेतु निवेदन किया।

4— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को प्रपत्र—1 में नोटिस जारी कर, तलब किया गया।

5— गैरसायल दिनांक 26.2.2013 को जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा 14.05.2013 को जवाब प्रस्तुत किया। जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी के खिलाफ पूर्व में दर्ज किये गये प्रकरण गम्भीर प्रकृति के नहीं है ना हीं समाज विरोधी है। सभी मुकदमों को दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी के खिलाफ पिछले एक वर्ष से कोई मुकदमा पंजीबद्ध नहीं हुआ है। प्रार्थी अत्यन्त गरीब परिवार का व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपना व परिवार का शांतिपूर्वक पालना पोषण करता है। आम जनता को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उसके खिलाफ प्रस्तुत उक्त इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

6— गैरसायल का जवाब इस्तगासा प्राप्त होने पर प्रकरण में साक्ष्य आहूत की गयी।

7— प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य शहादत पी.डब्ल्यू. 1 श्री बनावारीलाल हेड कानि. 522 थाना कोतवाली बारां, पी.डब्ल्यू. 2 श्री रामकरण स.अ.नि. थाना कोतवाली,बारां ली गयी। गैरसायल की ओर से साक्ष्य शहादत पेश नहीं की। तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष(ए.पी.पी.) व अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी गयी।

8— बहस के दौरान विद्वान ए.पी.पी. अभियोजन पक्ष सरकार का तर्क है कि गैरसायल के विरूद्व 9 प्रकरण, ताश खेलने व खिलाने संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है, इनके अलावा इससे पूर्व भी कई प्रकरण पंजीबद्व हुई है सभी प्रकरणों में गैरसायल दोष सिद्ध हुआ है। गैरसायल लगातार आदतन आपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो साक्ष्य सरकार पी0डब्ल्यू.1 व पी0डब्ल्यू.2 की शहादत से स्पष्ट हो चुका है। गैरसायल के आचरण से समाज मे भय व आंतक व्याप्त है, इसके खिलाफ कोई भी शिकायत करने से कतराते है। गैरसायल के विरूद्व निर्णित प्रकरणों में गैरसायल दोषसिद्व होने तथा विचाराधीन प्रकरणों से यह साबित होता है कि गैरसायल की आपराधिक कार्य व गतिविधियों में पूर्ण संलिप्तता है। इसके भय व इसकी गतिविधियों से कानून एंव शांति व्यवस्था को लगातार खतरा बना रहता है। गैरसायल गुण्डा की तारीफ में आता है। अतः इस्तगासा स्वीकार किया जावे।

9— इसके विपरीत गैरसायल के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि गैरसायल के विरूद्व कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज नही है, ना ही कोई लडाई झगडे का कोई केस दर्ज हुआ है। इस्तगासे में उसके विरूद्व सभी केस 13 आरपीजीओ के दर्ज है। यह केस झूठे तथा गलत तथ्यों पर आधारित थाना—कोतवाली, बारां द्वारा जोर व दबाव में तैयार किये गये है। वह शातिंप्रिय सामाजिक प्राणी है। क्षैत्र मे कभी किसी व्यक्ति से लडाई झगडा नही किया है, ना ही उसके विरूद्व किसी थाने मे लगाई झगडा व शांति भंग संबंधी कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। समाज मे उसके व्यवहार से किसी भी व्यक्ति को कोई खतरा नही है। पुलिस द्वारा जानबूझ कर, अपने लक्ष्य अर्जित करने के उद्धेश्य से गुण्डा एक्ट का केस बनाये गये है। फौजदारी व गम्भीर प्रवृति का कोई केस दर्ज नही है। नोटिस मे जिन मुकदमों का विवरण दिया है सभी में निर्णय हो चुका है। बिना तथ्यों व आधार के किसी भी व्यक्ति को गुण्डा नही माना जा सकता। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जावें।

10— हमने सहायक लोक अभियोजन व विद्वान अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं थाने कोतवाली,बारां से वर्तमान में गैरसायल के विरूद्व दर्ज प्रकरण एवं चाल चलन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की। इससे पाया जाता है कि गैरसायल के खिलाफ न्यायालयों में लगातार मुकदमें पंजीबद्व हुये है, जिसमें गैरसायल दोषसिद्व होने से दण्डित किया गया है। गैरसायल के विरूद्व लेखबद्व अभियोजन पक्ष की साक्ष्य ने यह प्रमाणित किया है कि गैरसायल सट्टे लगाने, ताश खेलने व खिलाने में मशगूल रहा है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल आदतन अपराध करने का आदी है। इससे संबंधित थाना क्षैत्र कोतवाली,बारां में भय व आतंक व्याप्त है।

11— उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों व बयानों के अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल के विरूद्व पर्याप्त आपराधिक रिकार्ड है, जिसमे वह दोषसिद्व भी हुआ है। गैरसायल की गतिविधियॉ एंव प्रवृत्तियां अनैतिक एंव दुष्प्रेरित है जो थाना क्षैत्र कोतवाली,

बारां एंव जिला–बारां के लिए घातक एवम् खतरनाक है तथा जन साधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्ररित होने वाली है। इस प्रकार गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975 की धारा, 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व होता है क्योंकि धारा, 2 (आ)(5) के प्रावधान के अनुसार भी वह दोषी ठहराया हुआ है।

12– गैरसायल श्री हेमराज उर्फ डेम्पा पुत्र श्रवणलाल जाति–रेगर उम्र–30 साल निवासी–गोपाल कॉलोनी, थाना–कोतवाली, बारा जिला–बारां (राज.) को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, की धारा, 2 (बी) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा, 3(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के थाना–कोतवाली,बारां क्षेत्र से थाना–अन्ता क्षेत्र के लिये 3 माह (तीन माह) के लिए निष्कासित का आदेश देता हूँ। गैरसायल को निम्न निर्देश/आक्षेप/निषेध/ प्रतिबंध/ शर्तो के साथ निष्कासित किया जाता है–

1. गैरसायल उक्त तीन माह की अवधि में थाना–अन्ता क्षेत्र से बाहर नहीं जायेगा व ना ही थाना क्षेत्र कोतवाली,बारां में प्रवेश करेगा।
2. गैर सायल संबंधित थानाधिकारी के समक्ष सप्ताह में दो बार सोमवार व शनिवार अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।
3. गैर सायल के लिए किसी मोटी या पैनी धार वाले शस्त्र या अन्नेय शस्त्र या कोई मादक शराब,अफीम,गांजा,चरस या भांग या कोई विस्फोटक अथवा ज्वलनशील पदार्थ या कातिल पानी की बोतल रखना या उपयोग में लाना प्रतिबंध या प्रतिबन्धित रहेगा।
4. गैर सायल हर पन्द्रह दिनों के अन्तराल पर इस न्यायालय को भी अपने निवास व गतिविधियों की सूचना देगा।
5. गैर सायल उक्त आदेश की अवधि में नेक चलन रहेगा। ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सद्चरित्र रहेगा व सद्व्यवहार बनाये रखेगा। इस आशय का न्यायालय के समक्ष 10000/– रूपये का स्वंय का मुचलका पेश करेगा।
6. गैर सायल उक्त आदेश की अवधि में किसी भी तरह का कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 01.08.2019 से प्रभावी होगा।

तहरीर जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी, कोतवाली,बारां/थानाधिकारी,थाना–अन्ता को दी जावे। थानाधिकारी, कोतवाली,बारां को तहरीर में लिखा जावे कि गैरसायल को प्रभावी आदेश दिनांक 01.08.2019 से निष्कासित अवधि तीन माह के लिए संबंधित थानाधिकारी थाना–अन्ता के सुपुर्द करे।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला मजिस्ट्रेट, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.08.06 10:28:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: